कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक / 10 /अभि.को./ 2017 जगदलपुर दिनांक 12/09/2017

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी
एन.आई.सी.
जिला बस्तर ।

विषय :— विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व–सकिय प्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा –4 (1) क (ख) में निहित प्रावधान के तहत कार्यवाही बावत ।

संदर्भ :— आपका कार्यालयीन पत्र कमांक 16/छ.सू.अ./2017 जगदलपुर दिनांक 5.9.2017

—0—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । इंटरनेट पर स्व–सकिय प्रकटीकरण राष्ट्रीय सूचना केन्द्रएव एन.आई.सी. के माध्यम से विभाग की बेवसाइट में अपलोड कार्य हेतु निम्नानुसार जानकारी आपकी ओर प्रेषित है :—

1— मिसल बंदोंबस्त अभिलेख वर्ष 1931—32, एवं जमाबंदी अभिलेख 1950 के पूर्व :—

उक्त अभिलेखों का आदिवासी/हरिजनों के स्थाई जाति प्रमाण पत्र एवं बंदोबस्त. त्रुटि सुधार कार्य के उपयोग में लाया जाता है ।

2— बी—1 वर्ष 1970 के पूर्व एव बी —1 वर्ष 1951—52 से 1959—60 :—

बी—1 वर्ष 1970 के पूर्व अभिलेख पिछड़ा वर्ग के स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनाने एवं बी —1 वर्ष 1951—52 से 1959—60 का अभिलेख भूमि खरीदी, बिकी के कार्य के उपयोग में लाया जाता है ।

3— मेन्टेनेंस खसरा नजूल अभिलेख 1980 के पूर्व :—

4— नक्शा वष 1931—32 का नक्शा :—

बंदोबस्त त्रुटि सुधार एवं न्यायालयीन कार्य के उपयोग में लाया जाता है ।

5— नस्तीबद्ध प्रकरण :—

नस्तीबद्ध प्रकरण का सत्यप्रतिलिपि न्यायालयीन कार्य के उपयोग में लाया जाता है

6— अधिकार अभिलेख 1954—55 :—

बंदोबस्त त्रुटि सुधार एवं न्यायालयीन कार्य के उपयोग में लाया जाता है ।

7— संशोधन पंजी :—

बंदोबस्त त्रुटि सुधार एवं न्यायालयीन कार्य के उपयोग में लाया जाता है ।

8— जारी किये गये नस्तीबद्ध जाति प्रमाण पत्र प्रकरण:—

उक्त जाति प्रमाण पत्र. उच्चाधिकारियों के अवलोकन एवं जाति सत्यापन हेतु एवं न्यायालयीन कार्य के उपयोग में लाया जाता है ।

मेन्टेनेंस खसरा नजूल अभिलेख मात्र शहरी क्षेत्र के आदिवासी/हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के आम नागरिकों के स्थाई जाति प्रमात्र पत्र बनाने के उपयोग में लाया जाता है ।

उपरोक्त मांग अनुसार अभिलेखों का अवलोकन कराया जाता है । जिसका रजिस्टर में इंद्राज कर 5–5 रूपये के 02 कोर्ट फी टिकट लगाकर संबंधितों से हस्ताक्षर लिया जाता है । तत्पश्चात संलग्न नकल दरखास्त में आवेदन करने के पश्चात मुख्यप्रतिलिपिकार शाखा जगदलपुर (नकल शाखा) में फीस पटाया जाकर उसे नकल कार्य के लिये रसीद दिया जाता है । मुख्यप्रतिलिपिकार शाखा द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र इस शाखा को प्रदाय करने पर अभिलेख का सत्यापित प्रति के साथ नकल दरखास्त प्रेषित किया जाता हैं ।

अतः महोदय की ओर उक्त जानकारी सादर सम्प्रेषित है ।

पदस्थ कर्मचारी :–

1– अभिमन्यु देवांगन सहा0 ग्रेड–02
2– प्रेमचंद्र सेठिया सहा0 ग्रेड–03
3– मुन्नाराम ठाकुर सहा0 ग्रेड–03
4– कु0 संध्या राणा सहा0 ग्रेड–03

12/9/17
डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर,जिला बस्तर.

पृ0 क्रमांक / 11 /अभि.को./ 2017 जगदलपुर दिनांक 12/09/2017

प्रतिलिपि :–

कलेक्टर, जिला बस्तर. जगदलपुर को संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

12/9/17
डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर,जिला बस्तर.

(प्रतिलिपि हेतु आवेदन)

नकल दरखास्त

प्रति,

मुख्य प्रतिलिपिकार,

कार्यालय..

....(छ.ग.)

प्र.क्र. नाम शिंगा	न्यायलय का नाम	नम्बर शुमार	पक्षकार/ पक्षकारों का नाम	निर्णय दिनांक	तफसील नकल जो दरकार हो	कैफियत

आवेदक ____________________

दिनांक : / / 201

____